भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4409

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

'अन्न मित्र' और 'अन्न सहायता' डिजिटल प्लेटफॉर्म

4409. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'अन्न मित्र' और 'अन्न सहायता' डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कार्यक्रमों से पारदर्शिता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और पात्र लाभार्थियों को राजसहायता वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में शमिल लाभार्थियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, दोनों को सशक्त बनाने में किस प्रकार सहायता प्राप्त होती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हाँ, अन्न मित्र मोबाइल ऐप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जमीनी (फील्ड) कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक डाटा तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाता है। यह ऐप उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों, खाद्य निरीक्षकों और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों (डीएफएसओ) द्वारा जमीनी (फील्ड)-स्तरीय निगरानी, स्टॉक प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अन्न मित्र की प्रमुख रूपरेखा विशेषता - इसे निम्नलिखित के लिए तैयार किया गया है:

- फील्ड-स्तरीय प्रचालन, स्टॉक ट्रैकिंग और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना।
- राशन कार्डों का लेनदेन सारांश, लाभार्थी प्रबंधन और अन्य हितधारक जानकारी।
- निरीक्षण मॉड्यूल, फ़ीडबैक और रेटिंग मॉड्यूल।
- ज़िला से लेकर एफपीएस स्तर तक स्टॉक प्रबंधन।

ये सुविधाएँ ऐप को सक्षम बनाती हैं:

- बाधाओं को कम करना और मैन्युअल कागजी कार्रवाई को समाप्त करना।
- डाटा एक्सेस के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना।

....2/-

अन्न मित्र अंततः सभी प्रमुख पीडीएस हितधारकों को एकल, सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, जिससे सेवा वितरण में पारदर्शिता, गति और दक्षता में सुधार होता है।

वर्तमान में, अन्न मित्र ऐप चार प्रायोगिक राज्यों - उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम और पंजाब - में प्रचालनात्मक है और दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में उपलब्ध है। इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत शुरू किया गया अन्न सहायता प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और आईवीआरएस सेवाओं का लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) से संबंधित एक संरचित और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से इसकी प्रमुख विशेषताओं में व्हाट्सएप और आईवीआरएस चैनलों के माध्यम से शिकायत पंजीकरण जैसी कार्यक्षमताएं शामिल हैं ताकि उचित प्रशासनिक स्तरों पर शिकायतों का समय पर पता लगाना और उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत में पांच प्रायोगिक राज्यों, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह 1 अगस्त 2025 से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाइव है। यह प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को पूर्व-निर्धारित विकल्पों के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करने और उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देकर लाभान्वित करता है।

*****